तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.2.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस इस प्रकार से निवेदन किया है कि वादीसं 3 दौलतराम व वादीसं 2/1 नानालाल की मृत्यु हो चुकी है। दौलतराम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। व प्रतिवादीसं 2/1 नानालाल के विधिक वारिसान 2/1/1, 2 श्यामलाल, व प्रेम बाई एवं 1/1 प्रतापी बाई मृतक के विधिक वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर होने से प्रतापी बाई का नाम डिलिट किया जावे। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किये और नही वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रा.पत्रों मे मृत्यु की दिनांक का अंकन नही किया गया है। अत: प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि 03 CPC के दोनो ही प्रा.पत्र 'अबेट' फरमाया जावे। प्रकरण उभयपक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया व प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण मे मृतक दौलतराम व प्रतापी बाई, नानालाल की मृत्यु होना जाहिर किया गया है किन्तु वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व अपने प्रा.पत्र मे कही मृत्यु की दिनांक का अंकन नही किया हुआ है। जो न्याय संगत नही है। वकील विपक्षी की बहस से हम सहमत है। अत: प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि.03 CPC दिनांक 19-9-2021 व दिनांक 16.11.2022 दोनो ही प्रा.पत्र दस्तावेज के अभाव मे खारीज किये जाते है प्रकरण मे विधिक वारीसान को समय पर रिकार्ड पर नही लेने से प्रा.पत्र अबेट किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]